माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिंनाक 23 जून 2020 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 175वीं बैठक का कार्यवृत

दिनांक 23 जून 2020 को **श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन** की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश की 175 वीं बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव म.प्र. शासन, श्री पल्लव महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ., सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव-पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव-वित्त, आयुक्त-संस्थागत वित्त सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुखों द्वारा सहभागिता की गई।

श्री एस.डी.महुरकर, फील्ड महाप्रबंधक एवं संयोजक एस.एल.बी.सी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं बैठक में भाग ले रहे सभी अधिकारियों एवं सदस्य बैंकों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्री पल्लव महापात्र-प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ., सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा स्वागत भाषण दिया गया.

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने उद्बोधन में समिति के समक्ष उल्लेख किया गया कि:-

- कोरोना महामारी के संकट में लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी वित्तीय पैकेज की राशि के वितरण हेतु बी.सी. एजेंट्स एवं बैंकों द्वारा जो घर पहुँच सेवा दी गयी इसके लिए सभी बैंकर्स एवं बी.सी. एजेंट्स बधाई के पात्र हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदेश में इस बार गेहूं का उपार्जन देश में सर्वाधिक किया गया है और किसानों को उपार्जन की राशि के नकद भुगतान हेतु बैंकों द्वारा समयबद्ध नकद राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई जिससे किसानों को ऐसे कठिन समय में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्राप्त हुई जिसके लिए सभी बैंकर्स साथी बधाई के पात्र हैं।

- भारत सरकार द्वारा एम्.एस.एम्.ई. उद्यमियों हेतु जारी वित्तीय पैकेज के तहत सभी पात्र खातों को तत्काल ऑटोमेटिक ऋण स्वीकृत किये जाकर वितरित किये जाये। इसके साथ ही, ऐसे खाते जो पात्र नहीं है, उन्हें कैसे पात्र बनाया जाये पर भी बैंकों द्वारा विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बैंकों के लिये भी यह एक व्यवसाय में वृद्धि करने का अवसर है तथा उद्यमियों को कठिन समय में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेगें और प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

- भारत सरकार द्वारा सब-ओर्डिनेट डेब्ट (ऋण) प्रदान करने हेतु की गई घोषणा के संबंध में बैंकों द्वारा तत्काल परिपत्र जारी किये जाना चाहिये जिससे इस योजना का भी क्रियान्वयन हो सके। इस हेतु सभी बैंक अपने हेड ऑफिस से संपर्क बनाये रखें जिससे उद्यमियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके और बैंकों के एन.पी.ए. में कमी भी लाई जा सके। ऐसी इकाईयां, जो एन.पी.ए. अथवा स्ट्रेस्ड एसेट्स में वर्गीकृत की जा चुकी हैं परन्तु कार्यशील है, को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही मुद्रा योजना अंतर्गत शिशु श्रेणी के ऋणियों को भारत सरकार की योजना अंतर्गत 2% ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- भारत सरकार की पी.एम. स्वनिधि योजना के समान राज्य शासन द्वारा छोटे-छोटे कस्बाई क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक योजना बनाई जा रही है, जिससे छोटे व्यवसायियों को योजना अंतर्गत लाभांवित किया जा सके।

- बैंकों द्वारा छोटे-छोटे ऋणों के लिये भी अनेक दस्तावेज निष्पादित किये जाते हैं जिससे दस्तावेज निष्पादन की लागत बढ़ती है। पी.एम्-स्वनिधि योजनान्तर्गत मात्र रू. 10 हजार की ऋण सीमा होने से बैंकों द्वारा मात्र एक समेकित दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिये जिससे हितग्राही को सुलभता से ऋण प्राप्त हो सके। इस हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सभी बैंकों से विचार विमर्श कर एक समेकित दस्तावेज तैयार कर लागू किया जाये जिसकी पुष्टि आगामी एस.एल.बी.सी. में कराई जा सकती है।

- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 10 से 12 लाख पी.एम्-किसान हितग्राहियों को केसीसी जारी किया जाना बाकी है। एस.एल.बी.सी. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करे। इस हेतु कृषि विभाग द्वारा सभी छूटे हुए पी.एम्-किसान हितग्राहियों को चिन्हित कर सरपंच, सचिव आदि के माध्यम से बैंक शाखाओं में आवेदन-पत्र जमा करवाए जाये, जिससे बैंकों द्वारा उन्हें केसीसी जारी किया जा सके। कृषि विभाग द्वारा इस हेतु विशेष मुहिम चलाई जाये।

- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की पहल में स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों की प्रमुख भूमिका है। एस.एच.जी एक बड़ी ताकत है। इसे सशक्त बनाया जाना है। सभी बैंक यह सुनिश्चित करे कि स्व-सहायता समूहों की महिलाएं को ऋण लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े. बैंक शाखाओं में जमा आवेदनों का निष्पादन 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसकी सतत् समीक्षा की जाये तथा मेरे द्वारा भी मासिक आधार पर समीक्षा की जायेगी।

- प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वरा बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों पर एक सामान ब्याज दर करने के प्रस्ताव पर एस.एल.बी.सी. की उपसमिति द्वारा विचार किया जाये। स्व-सहायता समूहों को 4% ब्याज दर पर ऋण देने के प्रस्ताव पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

द्वारा समीक्षा की जाये। मुख्य सचिव द्वारा उल्लेख किया गया कि इस विषय पर पूर्व में राज्य शासन द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया गया था, जिसकी पुन: समीक्षा कर ली जाये।

- प्रदेश में डेयरी कृषकों को केसीसी जारी करने के लिए दुग्ध संघों द्वारा बैंकों में आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं। सभी बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण अधिकतम 10 दिनों में करना सुनिश्चित किया जाये।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य की वार्षिक साख योजना वर्ष 2020-21 का विमोचन किया गया।
बैठक में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

1. 15 नवम्बर 2019 को संपन्न 173/174 वीं एसएलबीसी की बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि

सदन द्वारा कार्यवृत की पुष्टि की गयी।

2. राज्य में बैंकिंग विकास - 31 मार्च 2020

सदन द्वारा प्रगति को नोट किया गया।

3. वार्षिक साख योजना-2020-21

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक साख योजना अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र हेतु रू. 1,76,217 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि स्व-सहायता समूह हेतु रू. 1300 करोड़ तथा पी.एम.स्वनिधि योजना अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों के लिये रू. 650 करोड़, कुल रू. 1950 करोड़ से लक्ष्य निर्धारित करते हुए साख योजना को पुनरिक्षित किया जाये। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय क्षमता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जाये जिससे लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही स्व-सहायता समूह के लक्ष्य साख योजना में पृथक से प्रदर्शित भी किये जाये।

- एस.एल.बी.सी. द्वारा उपरोक्तानुसार सभी जिलों को संशोधित लक्ष्य सूचित किये जाये।

कार्यवाही- एस.एल.बी.सी.

4. आत्म निर्भर भारत पैकेज का क्रियान्वयन

- 22 बैंकों द्वारा 2,96,445 पात्र एम्.एस.एम्.ई. इकाईयों को चिन्हित किया गया है। दिनांक 18 मई से 17 जून 2020 तक 58,097 एम्.एस.एम्.ई. इकाईयों को रु. 2,190 करोड़ का

ऑटोमेटिक कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत किया जा चुका है जो कुल पात्र संख्या का लगभग 20% है।

- माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बैंकों से दिंनाक 15 जुलाई 2020 तक सभी पात्र इकाईयों को ऑटोमेटिक कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत करने का आग्रह किया गया जिसे बैंकों द्वारा मान्य करते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया।

- प्राइवेट बैंकों द्वारा भी इस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

- सब-ओर्डिनेट ऋण प्रदान करने हेतु परिपत्र जारी करने के लिए सभी बैंक अपने हेड ऑफिस से संपर्क करें और अतिशीघ्र इस योजना अंतर्गत इकाईयों को लाभांवित किया जाये जिससे इकाईयां रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके।

- मुद्रा योजना अंतर्गत शिशु श्रेणी के ऋणियों को 2% ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही- सभी बैंक

5. पी.एम्-स्वनिधि योजना

- नगरीय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं के लिए पी.एम्-स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन 01 जुलाई 2020 से किया जाना है।

- इस योजनान्तर्गत बैंकों के लिए 5 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य दिए गए.बैंकों की शहरी एवं मेट्रो शाखाओं के आधार एस.एल.बी.सी. एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बैंकों को लक्ष्य दिए जाएँ।

कार्यवाही- एस.एल.बी.सी. एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

- इस योजना में भारत सरकार द्वारा नियमित खाता रखने वाले हितग्राहियों को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। मा. मुख्य मंत्रीजी द्वारा व्यक्त किया कि नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस योजना में बैंकों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिये जाने पर विचार करें जिससे हितग्राही लाभांवित हो सके।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

- इस योजना अंतर्गत सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर को लाभ मिले साथ ही योजना का व्यावहारिक रूप से समुचित क्रियान्वयन हो, इसके लिए सभी बैंक ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- सभी बैंक

- सभी बैंक अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का परिपत्र शीघ्र प्राप्त करे जिससे कि योजना का क्रियान्वयन समय पर किया जा सके।

कार्यवाही- सभी बैंक

- पी.एम्-स्वनिधि योजना के तर्ज पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कस्बाई क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों के लिए समान योजना बनाई जा रही है। राज्य शासन ने इस योजनान्तर्गत लगभग 1.50 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। योजना जारी होने के उपरांत बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्यवाही- म.प्र.शासन एवं समस्त बैंक

- इस योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा एक समेकित दस्तावेज निष्पादित कर कैसे ऋण दिया जा सकता है, इस पर विचार कर निर्णय करें जिससे सुगमता से ऋण प्राप्त हो सके। इस मुद्दे को एम0एस0एम0ई0 हेतु गठित उप'समिति के माध्यम से निर्णित कराया जाये।

कार्यवाही- एस.एल.बी.सी./एम0एस0एम0ई0/संथागत वित्त

6. किसान क्रेडिट कार्ड अभियान

- पी.एम् किसान योजना के हितग्राहियों एवं दुग्ध संघ के डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक चलाये जा रहे विशेष अभियान में बैंकों द्वारा के0सी0सी0 समयावधि में स्वीकृत किये जाये। राज्य में पी.एम् किसान हितग्राहियों कि संख्या लगभग 75 लाख है तथा बैंकों द्वारा दिंनाक 31 मार्च 2020 तक लगभग 63 लाख केसीसी जारी किये जा चुके है।

- माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस.एल.बी.सी. को इस लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- एस.एल.बी.सी.

- माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग पी.एम्-किसान योजना अंतर्गत छूटे हुए लगभग 12-13 लाख किसानों को चिन्हित कर, सरपंच, सचिव, विभागीय अमले, आदि के माध्यम से बैंक शाखाओं में आवेदन जमा करवाए जाने हेतु निर्देशित किया, जिससे उन्हें केसीसी जारी किया जा सके.

कार्यवाही- किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

- माननीय मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन विभाग को पात्र डेयरी कृषकों के आवेदन को बैंक शाखाओं में अतिशीघ्र जमा करने के निर्देश दिये जिससे कि बैंक शखाओं द्वारा केसीसी जारी करने की कार्यवाही समय पर की जा सके।

कार्यवाही- पशुपालन विभाग

- माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंकों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण 7 से 10 दिवस के भीतर करने के निर्देश दिये जिसकी विभाग एवं सभी बैंकों द्वारा साप्ताहिक आधार पर सतत् समीक्षा भी की जाये।

कार्यवाही- सभी बैंक/पशुपालन विभाग

7. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

- इस योजनान्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2020 तक 1,692 करोड़ का एनपीए था, जो कुल ऋण का 42% है। बैंकों द्वारा एक 'प्रशासनिक आदेश' जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है जिससे कि वे उधारकर्ताओं से एक मुश्त समझौता कर सके और म.प्र. शासन अपनी किश्त का भुगतान पूर्ववत मासिक आधार पर निरंतर रखा जाये।

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस मामले को तत्काल निपटाने तथा प्रशासनिक आदेश पर विचार करने के निर्देश दिए गये।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

8. कृषि ऋण में बढ़ते स्ट्रेस खाते

- सदन द्वारा आंकड़े नोट किये गये।

- बैंकों द्वारा अवगत कराया गया कि एक ओर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सभी किसानों को कम ब्याज दर पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं वहीँ अधिकांश कृषकों को केसीसी खाते में लेन-देन करने की जानकारी नहीं होने के कारण वे ब्याज अनुदान के लाभ से वंचित हो रहे हैं। कृषक द्वारा ऋण खातों मे संव्यवहार एवं उनका नवीनीकरण नहीं करने के कारण बैंकों की तनावग्रस्त आस्तियों में वृद्धि हो रही है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा इसका प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे किसानों को उच्च दर से ब्याज न देना पड़े।

कार्यवाही- किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

9. भूमि पर ऑनलाइन-प्रभार मोड्यूल

- राज्य में बैंकों द्वारा भूमि बंधक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है. बैंक उधारकर्ता की सहमति से भूमि बंधक हेतु पटवारी एवं तहसीलदार को ऑनलाइन अनुरोध भेजते है. कुछ जिलों में बैंकों द्वरा भेजे गए अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने में विलम्ब हो रहा है। बैंकों द्वारा राज्य शासन से पटवारियों एवं तहसीलदारों को उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

कार्यवाही- राजस्व विभाग

10. स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति वर्ष 2019-20

- सदन द्वारा प्रगति नोट की गयी।

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उल्लेख किया गया कि प्राय: यह देखा गया है कि कुछ बैंक पहले से स्थापित परिवार के व्यक्तियों को ही स्वरोजगार योजनाओं में ऋण दे रहे हैं जबकि योजना का मुख्य लक्ष्य नये उद्यमी विकसित करना था, जो कि प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि नये उद्यमियों को योजना में लाभांवित करने पर बैंकों द्वारा विचार किया जाना चाहिये जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके तथा नये स्टार्ट-अप भी विकसित हो सके।

  कार्यवाही- सभी बैंक

- यह भी देखा गया कि बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति की भी मांग की जाती है जो कि योजना के प्रावधानों के विपरीत है। सभी बैंकों द्वारा ऐसे मामलों की सतत समीक्षा की जाये तथा सी.जी.टी.एम्.एस.ई. के माध्यम से ही गारंटी कवर प्राप्त किया जाये।

  कार्यवाही- सभी बैंक

- संयोजक, एस.एल.बी.सी ने योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी विभागों से योग्य व्यक्तियों के आवेदन बैंक शाखाओं में प्रेषित करने का आग्रह किया।

  कार्यवाही- योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी विभाग

11. अग्रणी बैंक योजना- स्टैण्डर्ड डाटा फ्लो सिस्टम

- एस.एल.बी.सी. एवं डी.एल.सी.सी. आदि फोरम हेतु जिलेवार एवं ब्लाकवार डाटा बैंकों के सी.बी.एस. से सीधे भरने हेतु आर.बी.आई. ने निर्देश जारी किये हैं।

- अब तक सिर्फ सिर्फ 3 बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मध्यांचल ग्रामीण बैंक एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा ही सभी डाटा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर भरे गए हैं।

- अन्य सभी बैंक जून 2020 के डाटा को 10 जुलाई 2020 तक अनिवार्य रूप से भरना सुनिश्चित करें।
  कार्यवाही- सभी बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मध्यांचल ग्रामीण बैंक एवं इलाहाबाद को छोड़कर)

तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिवपुरी, अनुपपुर, सीहोर एवं गुना जिले के स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों/प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। चर्चाउपरांत राज्य में स्व-सहायता समूह को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए-

12. स्व-सहायता समूह

12.1. वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बैंकों के लक्ष्य

बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 में लगभग 300 करोड़ रूपये का ऋण स्व-सहायता समूहों को प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू. 1,300 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार किया जाये। एस.आर.एल.एम. द्वारा बैंकवार शाखाओं की संख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 60,000 नए स्व-सहायता समूह के गठन का लक्ष्य निर्धारित करने का उल्लेख किया।

कार्यवाही- एस.आर.एल.एम.

12.2. सभी बैंकों के लिये एक समान ब्याज दर का निर्धारण

वर्तमान में स्व-सहायता समूह को दिये ऋण पर ब्याज दर सभी बैंकों में एक सामान नहीं है। कतिपय बैंकों द्वारा ब्याज दर 14 से 18% भी लगाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वरा लिये जाने वाले ऋणों पर सभी बैंकों की ब्याज दर एक सामान कैसे निर्धारित की जा सकती है, पर एस.एच.जी की उपसमिति द्वारा विचार किया जाये। स्व-सहायता समूहों को 4% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा योजना तैयार की जाये तथा यदि पूर्व में ब्याज अनुदान हेतु कोई निर्णय लिया गया था तो इसकी समीक्षा की जाये।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नाबार्ड/ इंडियन बैंक

12.3. बैंकों द्वारा एस.एच.जी ऋण हेतु निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क तथा अन्य Processing fee/Inspection charge/Maintenance charge लगाया जाना

कतिपय स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने चर्चा के दौरान एस.एच.जी. ऋण पर बैंक द्वारा दस्तावेजों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क वसूले जाने की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की। इस बिन्दु पर अपर मुख्य सचिव-पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने अवगत कराया कि मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी 2018 द्वारा शासकीय योजनाओं के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों द्वारा दस लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य शुल्क से छूट प्रदान की है। अतः सभी बैंक इसका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करे। साथ ही एस.एच.जी ऋणों पर बैंकों द्वारा किसी प्रकार के Processing fee/Inspection charge/Maintenance charge आदि न लेने का आग्रह किया। इस बिन्दु को भी उप-समिति द्वारा विचार में लिया जाये।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नाबार्ड/ इंडियन बैंक

12.4. स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समय पर निराकरण

माननीय मुख्यमंत्री जी ने उललेख किया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की पहल में स्व-सहायता समूह की महिलाओं की भूमिका प्रमुख रहेगी। एस.एच.जी को सशक्त बनाया जाना चाहिए। सभी बैंक यह सुनिश्चित करे कि स्व-सहायता समूहों की महिलाएं को ऋण लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े। बैंक शाखाओं में आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिवस में निराकृत किया जाये। साथ ही प्रति एस.एच.जी. औसत ऋण की राशि को बढाने पर पहल की जाये।

कार्यवाही- समस्त बैंक

12.5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्व-सहायता समूहों को वित्त पोषण की बैंकवार मासिक समीक्षा सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नाबार्ड/ इंडियन बैंक

12.6. अन्य विषय

- कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा बैंक का लक्ष्य पूर्ण हो जाने का उललेख करते हुए एस.एच.जी. को ऋण देने से मना कर देते है जबकि लक्ष्य एक सांकेतिक होता है। वस्तुत-, किसी भी प्रकार का वित्त पोषण बैंक के लिये व्यवसाय है तथा इसे व्यवसाय की तरह देखते हुए ही वित्त पोषण की पहल बैंकों को करना चाहिये।

- कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा स्व-सहायता समूह की महिला सदस्य के पति द्वारा लिए गए ऋण की राशि कालातीत होने के कारण समूह को ऋण नहीं दिया जाना अथवा महिला सदस्य से पति के ऋण की वसूली की जाती है, जो कि नियमानुसार नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति को बैंकों द्वारा रोका जाना चाहिये।

- श्री पल्लव महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ., सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने उल्लेख किया कि एन.आर.एल.एम. योजनान्तर्गत स्व-सहायता समूहों को दिए गए ऋण में एन.पी.ए. का लेवल नगण्य है। अतः बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देते हुए आगे आना चाहिए।

- अपर मुख्य सचिव द्वारा बैंकों से संबंधित कतिपय शिकायत के बिन्दु जैसे ऋण की मात्रा कम स्वीकृत करना, स्वीकृति में विलम्ब, सर्विस एरिया नहीं होने के कारण प्रकरण लौटाना, आदि बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। संयोजक-एस.एल.बी.सी. ने सभी बैंकों को इन बिन्दुओं पर ध्यान देने के संबंध में सदन को अवगत कराया।

- विभाग में प्राप्त शिकायतों, पेंडिंग प्रकरणों आदि की जानकारी एस.एल.बी.सी को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिससे कि सम्बंधित बैंकों को इसकी जानकारी दी जा सके और इसकी मोनिटरिंग कि जा सके।

- बैठक के दौरान स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक में खाता खोलने में काफी परेशानी आती है तथा सभी सदस्यों को बैंक शाखा में बार-बार बुलाया जाता है। मा. मुख्य मंत्रीजी द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिये गये कि समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर ही समूह के सदस्यों को सिर्फ एक बार ही बैंक शाखा में बुलाया जाये और उसी दिन कार्यवाही पूर्ण की जाये। बैंक ऑफ इण्डिया, अहमदपुर शाखा जिला सीहोर से संबंधित यह शिकायत थी।

- राज्य शासन द्वारा सव-सहायता समूह को दिये जाने वाले रू. 10 लाख तक के ऋण पर देय स्टाम्प शुल्क से छूट देने के उपरांत भी बैंक शाखा द्वारा स्टाम्प शुल्क लिया जाना उचित नहीं है। यह शिकायत पंजाब नेशनल बैंक की गुना शाखा से संबंधित थी। सभी बैंक अपनी बैंक शाखाओं को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे।

अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई.

(मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यवाही विवरण अनुमोदित)